निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 67 / 2021
दायरा दिनांकः–12.10.2021
निर्णय दिनांकः– 11.11.24

उनवान

घांसीलाल आयु 70 वर्ष पुत्र छतरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम खुरई तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सीताराम आयु 45 वर्ष पुत्र गप्पालाल
2. राधेश्याम आयु 40 वर्ष पुत्र गप्पालाल
3. रामकुंवर बेवा गप्पालाल जातियान अहीर निवासीगण ग्राम खुरई तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 11.11.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायणलाल चौरसिया – प्रार्थी
2. श्री बृजराज सिंह राजावत – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम खुरई तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नंबर 213/648 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 218 रकबा 01 बीघा 10 विस्या कुल किता दो रकबा 04 बीघा स्थित है। जो वर्तमान में सीताराम् राधेश्याम पिसरान गप्पालाल के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी में अप्रार्थी कम 1 ता 2 को नाबालिग दर्ज दर्शाया गया है। जबकि अप्रार्थी कम 1 व 2 वर्तमान में बालिग हो चुके हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त परिवार है। उपरोक्त आराजी संयुक्त परिवार की है एवं पैत्रक है। प्रार्थी के भाई गप्पालाल की मृत्यु के उपरांत उपरोक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है। पेत्रक कृषि आराजियात संयुक्त परिवार की है। जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का समान हिस्सा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता गप्पालाल के मध्य आज से करीब 40 वर्ष पूर्व एक वाहमी बंटवारा हो गया था और तब से ही सब अपने अपने हिस्से पर काबिज है और काश्त करते चले आ रहे हैं। इस लिखित बंटवारे को करीबन 40 वर्ष से अधिक का समय हो गया है और उसी वहमी बंटवारे अनुसार प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी पर बिना रोक टोक यानि बिना किसी आपत्ति के करीबन 40 वर्ष से कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। इस आधार पर प्रार्थीगण को उपरोक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए हैं। प्रार्थी एक कृषक व्यक्ति है। जिसके जीवनयापन का एकमात्र साधन कृषि है। अगर अप्रार्थी क्रम 1

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

2 अगर उपरोक्त आराजी को दान, विक्रय कर देगे तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। प्रार्थी के पास न्यायालय श्रीमान में बटवारे का याद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त तथा विधिवत बंटवारा होने तक अप्रार्थी कम 1 व 2 को हस्तांतरण करने से रोके जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जयें सम्मन तलब किया गया। प्रतिवाद/अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खुरई सम्वत् 2076–79 खख्या 206 नकल जमाबन्दी ग्राम खुरई सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 44 नकल मौका रिपोर्ट दिनांक 2000 नकल जमाबन्दी खुरई सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 46 नकल पंचनामा पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खुरई तहसील छबड़ा में स्थित है जो वर्तमान में सीताराम राधेश्याम, के खातेदारी में दर्ज है. प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त परिवार के सदस्य है विवादित आराजी पैत्रक आराजी है गप्पालाल की मृत्यु के बाद उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई पैत्रक आराजी संयुक्त परिवार की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण का समान हिस्सा है विवादित आराजी का 40 वर्ष पूर्व बटवारा हो गया था। तभी से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी का 40 वर्ष से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में होने के कारण अप्रार्थीगण नाजायज फायदा उठाना चाहते है तथा भूमि को रहन बेचान करने पर आमादा हे अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जाये कि विवादित आराजी का रहन बेचान न करे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाये।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त है विवादित आराजी पर प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा विवादित आराजी अप्रार्थी के पिता ने 60–70 वर्ष पूर्व फाड तोड कर काबिज काश्त बनाया था तथा अप्रार्थीगण के पिता गप्पालाल को आवंटन हुई थी। आवंटन के बाद से अप्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। आवंटन के बाद से अप्रार्थी के पिता का कब्जा तथा उनके मरने के बाद अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है अप्रार्थी विवादित आराजी के वैद्य खातेदार व मालिक है विवादित आराजी संयुक्त परिवार की व पैत्रक नहीं है। और ना ही प्रार्थी के खातेदारी में रही। ना ही कभी कब्जा काश्त रहा। प्रार्थी जबरन अप्रार्थी की भूमि हडपना चाहता है और अपने खातेदारी दर्ज करवाना वाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जाये।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रायली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खुरई सम्वत् 2076–79 खाता सख्या 206 के अनुसार सीताराम, राधेश्याम, पुत्र गप्पालाल का नाम दर्ज है विवादित आराजी में प्रार्थी का नाम दर्ज रिकार्ड नहीं है प्रार्थी अपना कब्जा होना बताया है मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी फलिया दिनांक 12.06.2020 के अनुसार खातेदारी अप्रार्थीगण के तथा कब्जा प्रार्थी का होना बताया है। प्रार्थी को खातेदार के खिलाफ व एडवर्स पजेशन के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आधार पर अप्रार्थीगण का पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा